

1983

2016-2017

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष

1. आधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम : रघुनाथ राव

2. वर्तमान धारित पद : लाइन-सहायक

3. कार्यालय का नाम : परीक्षण संभाग,

मप्रपोट्रांकॉले,

4. वर्तमान वेतन : रु 20967+2900+DA

5. भविष्य निधि क्रमांक : 13851901

6. कर्मचारी संख्या : 88349561

शुजालपुर

(वेतन + ग्रेड वे0 + महंगाई भत्ता) 55332/-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित हैं और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
शुजालपुर जिला- शाजापुर शिलरवेडी (शुगोर)	ग्रा 21x42 फीट	-	12 से 13 लाख	स्वयं के नाम	(i) बैंक से लोन लेकर वर्ष 2003 से	निरंक	निरंक
	-	5 बीघा	35 लाख	स्वयं के नाम	(ii) -0- वर्ष 2015 में विरासत में	निरंक	निरंक

हस्ताक्षर रघुनाथ राव

नाम : रघुनाथ राव

पद : लाइन-सहायक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-

मण्डल द्वारा ग्राहक म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा वत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।